पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना।

क्र0सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दिए जाने वाले अनुतोष/लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है	स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी
1.	**कृषि वानिकी– अन्य प्रजाति योजना**	कृषि वानिकी योजना वर्ष 2012–13 से राज्य में संचालित की जा रही है। योजना में मुख्यतः सागवान, महोगनी, गम्हार, शीशम, खैर आदि के पौधों के रोपण हेतु चयनित लाभुकों को अपने खेत/बगान/मेंढ़ पर लगाने के लिए 10 रूपया सुरक्षित मूल्य प्राप्त कर पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। पौधों की देखभाल के लिये कृषकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 3 वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता रहने पर 60 रू0 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि तथा सुरक्षित मूल्य 10 रू0 भुगतान किये जाने का प्रावधान है।	कृषक एवं जीविका दीदी को योजना का लाभ मिलता है।	योजना की स्वीकृति सरकार के स्तर से होती है।
2.	**कृषि वानिकी– पॉप्लर (ई0 टी0 पी0) योजना**	कृषि वानिकी– पॉप्लर ई0टी0पी0 योजना वर्ष 2012–13 से संचालित है। योजना में शामिल होने वाले उद्यमियों/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से पॉप्लर के पौधे माह दिसम्बर–जनवरी में 10 रूपया सुरक्षित मूल्य प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं। पौधों की देखभाल के लिये कृषकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 3 वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता रहने पर 60 रू0 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि तथा सुरक्षित मूल्य 10 रू0 भुगतान किये जाने का प्रावधान है।	कृषक एवं जीविका दीदी को योजना का लाभ मिलता है।	योजना की स्वीकृति सरकार के स्तर से होती है।
3.	**मुख्यमंत्री निजी "पॉप्लर पौधशाला" योजना**	कृषि वानिकी योजना अंतर्गत पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निजी पॉप्लर पौधशाला योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला–पॉप्लर प्रजाति के लिये योजनान्तर्गत माह दिसम्बर–जनवरी में चयनित उद्यमियों/कृषकों/जमीन मालिकों को अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने हेतु पॉप्लर की कटिंग विभाग की स्थानीय पॉप्लर पौधशालाओं से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। लाभुकों को 10,000 (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। इससे पॉप्लर के पौधे तैयार होते है, जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर खरीद लिया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राशि 13 से 15 रू0 प्रति पौधा उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारिता की गयी है।	कृषक एवं जीविका दीदी को योजना का लाभ मिलता है।	योजना की स्वीकृति सरकार के स्तर से होती है।

4.	**मुख्यमंत्री निजी पॉप्लर पौधशाला योजना– अन्य प्रजातियों के पौधों के लिए योजना**	कृषि वानिकी–अन्य प्रजाति योजनान्तर्गत वितरण हेतु पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निजी पौधशाला–अन्य प्रजाति योजना क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों को पौधशाला स्थापना हेतु विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। पौधशाला की स्थापना माह फरवरी–मार्च में की जाती है। इस योजना में अलग–अलग प्रजातियों के पौधे तैयार होते हैं, जिसमें से मानक अनरूप पौधों का विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्रय किया जाता है। पौधों की औसत कीमत रू0 24.00(चौबीस रूपये मात्र) का भुगतान तीन किस्तों में क्रमशः प्रथम किस्त रू0 7/– प्रति पौधा, द्वितीय किस्त रू0 8/– प्रति पौधा एवं तृतीय किस्त रू0 9/– प्रति पौधा के रूप में किया जाता है।	कृषक एवं जीविका दीदी को योजना का लाभ मिलता है।	योजना की स्वीकृति सरकार के स्तर से होती है।
5.	**वन क्षेत्रों से अवैध पातन**	स्थानीय आम जनों द्वारा सरकारी पेड़–पौधों को अवैध रूप से काटने तथा वनों को क्षति पहुँचाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से की जाती है।	आम जनों को।	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी
6.	**वन भूमि अतिक्रमण, वन भूमि में अवैध खनन, क्रशर लगाने, पत्थर संग्रहण**	आम जनों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण, वन भूमि में अवैध खनन, क्रशर लगाने, पत्थर संग्रहण आदि कार्यों से वनों का दोहन होने की स्थिति में वनों को क्षति पहुँचाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से की जाती है।	आम जनों को।	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी
7.	**वनोत्पादों का अवैध परिवहन लकड़ी/केन्दूपत्ती एवं अन्य**	वनाच्छादित क्षेत्रों में आम जनों द्वारा वनोत्पादों का अवैध परिवहन लकड़ी/केन्दूपत्ती एवं अन्य का अवैध रूप से परिवहन पर रोक लगाने हेतु संबंधित जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।	आम जनों को।	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी
8.	**वन्यजीव अपराध, शिकार, पकड़ना, रखना इत्यादि**	वनाच्छादित क्षेत्रों में आम जनों द्वारा यदि वन्यजीव अपराध, शिकार, वन्यजीवों को पकड़ने/रखने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से की जाती है।	आम जनों को।	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी
9.	**जानवरों से क्षति संबंधी मुआवजा**	कृषकों के खेतों में नीलगायों द्वारा उनके हरे–भरे फसलों को क्षति पहुँचाने के एवज में संबंधित कृषकों को मुआवजा देय होता है। इसके लिए उन्हें यथाशीघ्र अपने खेतों का खाता, खेसरा आदि विवरण संबंधित जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में देना पड़ता है। तत्पश्चात् संबंधित जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से एक जाँच कमिटी का गठन किया जाता है जिसके तहत् फसल क्षति का आकलन कर	कृषकों/आम जनों को।	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी

		नियमानुसार उचित मुआवजा संबंधित कृषकों को प्रदान किया जाता है।		
10.	**निजी भूमि से निष्कासित लकड़ियों का परिवहन अनुज्ञा पत्र (जिला के बाहर)**	जिलों के बाहर निजी भूमि से निष्कासित लकड़ियों का परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है।	आम जनों को।	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी
11.	**प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों के लाइसेंसो के मामले**	प्रकाष्ठ (आरा मिल) उद्योंगों के लाइसेंस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।	इच्छुक आवेदक/ आम जनों को।	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी
12.	**ध्वनि प्रदूषण**	बैंड–बाजा, लाउडस्पीकर, डीजे सेट, पटाखे, पुराना विद्युत जेनरेटर एवं हाई प्रेशर हॉर्न इत्यादि से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से आम जनों को निजात दिलाने हेतु संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को निदेशित किया जाता है।	सभी आम जन।	संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
13.	**वायु प्रदूषण**	ईंट भट्ठा, व्यवसायिक संगठन, इंधन चालित वाहन, निर्माणाधीन कम्पनियाँ, खुले में कूड़ा जलाना इत्यादि से उत्पन्न वायु प्रदूषण से आम जनों को निजात दिलाने हेतु सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को निदेशित किया जाता है।	सभी आम जन।	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
14.	**बिना पर्यावर्णिक अनापत्ति के संचालित उद्योगों/इकाईयों के संबंध में**	अवैध ईंट भट्ठा, अवैध आरा मिल, अवैध मुर्गी फॉर्म, अवैध चावल/आटा/मसाला मिल के संचालकों द्वारा बिना पर्यावर्णिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ होने की स्थिति में समाज हित में सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के स्तर से संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अवैध रूप से संचालित इकाईयों को बंद कराने संबंधी आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित की जाती है।	सभी आम जन।	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
15.	**जल प्रदूषण**	फैक्ट्री, होटल, म्यूनिसिपाल्टी सिवेज इत्यादि से उत्पन्न जल प्रदूषण से आम जनों को निजात दिलाने हेतु सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को निदेशित किया जाता है।	सभी आम जन।	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
16.	**प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगो से संबंधित शिकायत**	ईंट भट्ठा, इंडस्ट्री, होटल इत्यादि उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण से आम जनों को निजात दिलाने हेतु सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को निदेशित किया जाता है।	सभी आम जन।	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

17	**जीव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित शिकायत**	अस्पताल, पैथोलॉजी, जीव चिकित्सा ट्रीटमेंट इत्यादि से उत्पन्न अपशिष्ट से आम जनों को निजात दिलाने हेतु सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को निदेशित किया जाता है।	सभी आम जन।	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
18.	**इलेक्ट्रॉनिक कचरा से संबंधित शिकायत**	कम्प्यूटर, मोबाईल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र का खराब कल–पूर्जे इत्यादि से उत्पन्न अपशिष्ट (कचरों) से आम जनों को निजात दिलाने हेतु सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को निदेशित किया जाता है।	सभी आम जन।	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद